# ...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

...द-पत्र संख्या :—41 / 2015 दायर दिनांकः 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00172

पीठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

— वादी

**बनाम**

1. श्री छोटूलाल वर्मा आईएलआर हाल तह0 बून्दी
2. श्री महावीर प्रसाद शर्मा पटवारी हाल पटवार म0 मानपुरा
3. श्रीमति राधारानी पत्नी मोहनलाल जाति महाजन निवासी नैनवां
4. श्रीमति गुणमाला पत्नी कमल कुमार मारवाडा जाति महाजन निवासी नैनवां
5. श्री नाथूलाल आ0 शोभागमल मारवाडा जाति महाजन निवासी नैनवां

——प्रतिवादीगण

**वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956**

उपस्थितिः—

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

**निर्णय दिनांक 18.08.2021**

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम में भूमि खसरा संख्या 6058/4496 रकबा 5 बीघा स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 23.11.75 को आंवटी शब्बीर मो0 आ0 नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नैनवां को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 4496/1 रकबा 5 बीघा भूमि की तरमीम दिनांक 8.8.07 को आईएलआर एवं पटवारी द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम की भूमि खसरा सं. 4496 रकबा 5 बीघा नया नम्बर 6058/4496 में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 2 पटवारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने निवेदन किया कि उक्त आवंटन नगरपालिका सीमा के गजट नोटेफिकेशन की सीमा से बाहर है । तरमीम पूर्णतया खातेदार के कब्जे के आधार पर की गई है। पटवारी द्वारा पेन्सिली की गई है जिसको जांच के पश्चात् भू0अ0निरीक्षक महोदय द्वारा प्रमाणित किया है। नक्शे लठ्ठे पर आईएलआर सा0 के हस्ताक्षर मौजूद है।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 4 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि दिनांक 23.11.75 को आंवटी शब्बीर मो0 आ0 नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नैनवां को उक्त भूमि आवंटित हुई थी। जिसे नियमानुसार आवंटित भूमि पर दखल दिया गया था। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नही की है। आदेश

नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवा
नैनवा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवा (बून्दी)